अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2015

का.आ. 202(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, कर्नाटक पशुधन विकास अभिकरण (कर्नाटक लाइवस्टॉक डिवेलपमेंट एजेंसी), कर्नाटक सरकार द्वारा गठित एक निकाय, को उक्त निकाय को उद्‌भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है, अर्थात:—

(क) भारत सरकार से सहायता अनुदान के रुप में प्राप्त राशि;

(ख) सहायता अनुदान पर ब्याज;

2. अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी; नामश:-—

(क) यह कोई भी वाणिज्यिक कार्यकलाप नहीं करती है;

(ख) कार्यकलाप और विनिर्दिष्ट आय का स्वरुप पूर्ण वित्तीय वर्ष (वर्षों) में अपरिवर्तनीय रहता हैं; और

(ग) अपनी आय की विवरणी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के उपबंध के अनुसार दायर करती है।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना संख्या 7/2015/फा. सं. 196/16/2014-आयकर नि-I]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक